राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.8(2)(19)निर्वा/2013/5679 जयपुर, दिनांक 12.10.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषयः विधानसभा आम चुनाव, 2013 – आदर्श आचार संहिता – राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार के लिए दुरूपयोग।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 437/6/96/पीएलएन–।।। दिनांक 15.01.1996 के द्वारा सभी प्रकार के सरकारी वाहनों को राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों या राजनैतिक व्यक्तियों के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान में या चुनाव संबंधी दौरों के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित किया हुआ है। राजकीय वाहनों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रमों, राज्य/केन्द्र सरकार के संयुक्त उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर पालिका संस्थाओं, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थाओं और ऐसी अन्य सभी संस्थाओं जिसमें Public Fund का पूर्णतः या अंशतः निवेश हो ऐसे सभी संस्थाओं के वाहन शामिल माने गए हैं। वाहनों में ट्रक, बसें, टेम्पो, कार, आटो रिक्शा, हेलीकॉप्टर, एयर क्राफ्ट, नावें आदि सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं।

आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक इन वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखेगा और यदि कोई वाहन किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के कार्यकर्ता/व्यक्ति या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव संबंधी दौरों के लिए उपयोग में लेते हुए पाया जावे तो उस वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अपने चुनाव कार्यों के लिए अधिग्रहित कर लिया जावे।

मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में आप सभी को निर्देश पूर्व में ही स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं जिसमें कोई भ्रम नहीं है। इसी क्रम में आपका ध्यान आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/2008/सीसी एण्ड बीई दिनांक 19.10.2008 के परिपत्र में वर्णित निम्नांकित निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है :–

" ...the functionaries of all the Autonomous Organisatons may be instructed to use the official vehicle onlyfor commuting between office and residence ant to attend any official meeting within the Head Quarters itself. The District Administration may be advised to keep strict vigil on the movement of such vehicle and any vehicle found being misused may be confiscated forthwith".

यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न निगमों/बोर्डों/आयोगों/समितियों के मनोनीत अध्यक्ष या मनोनीत सदस्य जिनका मुख्यालय जयपुर में है उनमें से कुछ निगमों/बोर्डों/आयोगों/समितियों के वाहन का उपयोग बाहर की यात्राओं में कर रहे हैं। यदि ऐसा पाया जाता है तो आयोग के उक्त निर्देशों की पालना कर कार्यवाही की जावे और ऐसे वाहन का जिस स्थान पर भी दुरूपयोग पाया जाता है उसे वहीं पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त अधिग्रहित कर लिया जावे।

चूंकि उक्त निगमों/बोर्डों/आयोगों/समितियों के मनोनीत अध्यक्षों को अपने मुख्यालय पर स्थित आवास से कार्यालय तक ही आने–जाने की कार्यालय के वाहन से आने–जाने की अनुमति है। यदि ऐसे वाहन का उपयोग किसी राजनैतिक दल के कार्यालय में आने–जाने के लिए या राजनैतिक बैठकों में आने–जाने के लिए किया जाता है या उसमें अन्य व्यक्ति जो राजनैतिक कार्यकर्ता हो भी भ्रमण करता है तो वाहन का दुरूपयोग माना जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार सख्ती से पालना करायी जावे।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।